झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना।

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची के पत्र संख्या 411 दिनांक 17.02.2011 के आलोक में डोर स्टेप डिलिवरी के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना एवं अन्त्योदय योजना के तहत खाद्यान (गेहूँ, चावल, चीनी एवं नमक इत्यादि) एवं अन्य विभाग के द्वारा निदेशित खाद्य सामग्री को प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचाने का कार्य किया जाना है। कई स्थानों पर ऐसे मार्ग हैं, जिन पर ट्रक का आवागमन संभव नहीं है। इस हेतु मिनी ट्रक, ट्रैक्टर–ट्रेलर, टाटा–407, टाटा–207, पिकअपवैन या सक्षम वाहनों से परिवहन–सह–हथालन हेतु डोर स्टेप डिलिवरी की निविदा लातेहार जिला के सभी प्रखण्डों बालुमाथ छोड़कर 8 (आठ) प्रखंडों के लिए अलग–अलग आमंत्रित की जाती है। निविदादाता एक से अधिक प्रखंडों में निविदा भर सकते हैं।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 491/राँची दिनांक 11.02.2016 के कंडिका 08 में निदेशित है कि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्नों के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निर्धारित राशि 30.00 रू0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 42.50 रू0 प्रति क्विंटल किया गया है। इसमें से 2.5 रू0 प्रति क्विंटल डोर स्टेप डिलिवरी के वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग हेतु कर्णकित है, जिसका क्रियान्वयन विभागीय स्तर से की जायेगी, जबकी शेष 40.00 रू0 डोर स्टेप डिलिवरी के लिए होगी। विभागीय पत्रांक 1132/राँची दिनांक 18.03.2016 के आलोक में 30.00 रू0 प्रति क्विंटल में अन्यून दर पर संविदा का निस्तारण किया जायेगा।

अतः डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निविदा की अधिकतम राशि 40.00 (चालीस) रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु निम्नलिखित आहर्त्ता होना आवश्यक है :–

1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "तकनीकी बीड" लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहर बन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
2. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "वित्तीय" अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर उसे मुहर बन्द करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
3. "तकनीकी बीड" एवं वित्तीय "वित्तीय बीड" दोनो मुहर बन्द लिफाफे के उपर प्रखण्ड का नाम अंकित करेंगे। उस लिफाफा पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से निविदा डालेंगे।
4. अग्रधन की राशि 50.000.00 (पच्चास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, लातेहार के नाम से भुगतेय डालेंगे।
5. कम से कम 500000.00 (पाँच लाख) रूपये का व्यक्तिगत सम्पति प्रमाण–पत्र अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपर्षद द्वारा निर्गत किया हुआ होना आवश्यक है।
6. 250000.00 (दो लाख पचास हजार) रूपये का बैंक गारन्टी प्रमाण–पत्र उपायुक्त, लातेहार के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारन्टी निविदा तिथि से न्युनतम एक वर्ष का होना आवश्यक है।
7. निविदादाता का आवासीय प्रमाण–पत्र अनुमण्डल स्तर से बना हुआ होना आवश्यक है।
8. निविदादाता का चरित्र प्रमाण–पत्र उपायुक्त स्तर से बना हुआ होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर का होना आवश्यक है।

9. निविदादाता की दो अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का नमूना निविदा भरने के समय संलग्न होना आवश्यक है।
10. वाहन का निबंधन तथा बीमा एवं टैक्स का अद्यतन भुगतान कागजात होना आवश्यक है।
11. निविदादाता का आयकर रिटर्न की बिगत तीन वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संग्लन करना आवश्यक है।
12. निविदादाता का अनुभव प्रमाण–पत्र (यदि हो तो) संलग्न की जाय।
13. निविदा पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा–पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर नहीं होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदादाता के नाम से कम से कम एक (01) गाड़ी लातेहार जिला से निबंधित एवं एक गाड़ी निविदादाता के नाम से या उनके परिवार (स्वंय निविदादाता, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से) होना आवश्यक है। उसके अतिरिक्त कम से कम चार वाहनों का लीज संबंधी एकरारनामा जिसमें यह उल्लेखित हो कि संबंधित गाड़ियों का उपयोग खाद्यान्न के परिवहन हेतु ही किया जायेगा, होने संबंधी प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता का चयन होने होने के उपरांत डोर स्टेप डिलिवरी में लगाये जाने वाले सभी वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रेकिंग लगाना अनिवार्य है।
16. डोर स्टेप डिलिवरी के तहत खाद्यानों का उठाव एवं पहुँचाने में उपयोग की जा रही वाहनों के दोनो तरफ (आगे पिछे छोड़कर) पीला रंग के Back Ground में काले अक्षर से "जन वितरण प्रणाली के खाद्य का परिवहन" सूचना पेंटिंग किया जाना आवश्यक होगा।
17. अलग–अलग शहरी प्रखंड के लिए निविदा भरे जाने पर अग्रधन की राशि (बैंक ड्राफ्ट) बैंक गारंटी एवं वाहन अलग–अलग देना अनिवार्य है। (प्रत्येक प्रखंड के लिए एक अलग–अलग निविदादाता के नाम से निबंधित वाहन एवं चार वाहनों का लीज संबंधी एकरारनामा होना अनिवार्य होगा)।

निविदा प्रखंडो के लिए अलग–अलग आमंत्रित की जाती है तथा अन्य विस्तृत शर्त एवं निविदा पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, लातेहार से कार्यावधि में 1000.00 (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 30.04.2016 को 04:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है। ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के नाम से भुगतेय होना चाहिए। इस राशि को वापस नही किया जायेगा। निविदादाता को बगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिर्वतन करने/दर वार्ता करने/ एक से अधिक निविदाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दो सील लिफाफों "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" में अलग–अलग कर दोनों लिफाफे को अन्य एक बड़े लिफाफे में अपना पूरा पता अंकित करते हुए दिनांक 02.05.2016 को अपराह्न 02:00 बजे तक जिला आपूर्ति शाखा लातेहार के कार्यालय में रखे बन्द डब्बे/बक्सा में दिया जा सकता है। उपायुक्त, लातेहार के कार्यालय वेश्म में दिनांक 02.05.2016 को अपराह्न 03:00 बजे खोला जायेगा। उस दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होती है, तो अगले दिन निविदा खोलने की तिथि निर्धारित होगी।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचनापट्ट, झारखण्ड सरकार के बेवसाईट **WWW.jharkhand.gov.in** एवं लातेहार जिला के बेवसाईट **www.latehar.nic.in** पर उपलब्ध है जिसे देख सकते हैं।

22/4/16

उपायुक्त, लातेहार।

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

वित्तीय भाग

विहित प्रपत्र

1. मैंने राज्य खाद्य निगम के प्रखण्ड स्थित गोदाम से प्रखण्ड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों की संख्या समझ लिया हूँ।
2. मैंने प्रखण्ड के अंतगर्त संचालित सभी योजनाओं के आवंटन का अवलोकन कर लिया हूँ।
3. .... प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड स्थित गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकान तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु परिवहन से हथालन की प्रति क्विंटल खाद्यान्न .... रू0 की दर से निविदा भरता हूँ।
4. मुझे निविदा की सभी शर्त्तें मंजूर है।
5. निविदा की शर्त्तें का उल्लंघन करने पर कानूनी कारवाई की जा सकती है।

पता :— 1. जिला का नाम :—

2. अनुमंडल का नाम :—

3. प्रखण्ड का नाम :—

4. निविदादाता का नाम एवं वर्तमान पता :—

स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

5. निविदादाता के पिता / पति का नाम एवं पूरा पता :—

अभिप्रमाणित हस्ताक्षर

6. स्थायी पता :—

7. बैंक ड्राफ्ट न0 दिनांक :—

बैंक का नाम :— राशि

निविदादाता का हस्ताक्षर

मोबाईल न0 —

दिनांक —